परिशिष्ट : ए

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर

सत्र वाद संख्या : 662/2022

सी0आई0एस0 संख्या–9505/2022

सी0एन0आर0 संख्या–BRVA01-009505-2022

निर्णय की तिथि–24.06.2026

साधारण पंजी वाद संख्या–2854/2022

लालगंज थाना कांड सं0–212/2022

अंतर्गत धारा–341, 323, 324, 307, 379, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता

सूचक	श्री कैलाश ठाकुर।
अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक	श्री श्याम बाबु राय।
सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री लाल बाबु राय।
अभियुक्त	1–पवन कुमार उम्र–34 वर्ष पेसर–उमेश ठाकुर साकिन–कमालपुर, थाना–लालगंज, जिला–वैशाली।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री विनोद कुमार शर्मा।

अपराध की घटना तिथि	01.06.2022
प्राथमिकी की तिथि	07.06.2022 अंतर्गत धारा–341, 323, 324, 307, 379, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता
आरोप पत्र की तिथि	10.08.2022 अंतर्गत धारा–341, 323, 325, 307, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता
संज्ञान की तिथि	20.08.2022 अंतर्गत धारा–341, 323, 325, 307, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता
आरोप गठन की तिथि	15.12.2022 अंतर्गत धारा–341/34, 323/34, 325/34, 307/34, 504/34, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	22.12.2022
निर्णय पर नियत की तिथि	24.06.2026
निर्णय की तिथि	24.06.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो	-

24.6.26

परिशिष्ट : बी

अभियुक्तगण का विवरण:–

अभियुक्त का कमांक	A-1
अभियुक्त का नाम	पवन कुमार
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–341/34, 323/34, 325/34, 307/34, 504/34, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	**साक्ष्य की प्रकृति** (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्लू0–01	पार्वती देवी	साक्षी
पी0डब्लू0–02	शीला देवी	साक्षी
पी0डब्लू0–03	रंजन कुमार	साक्षी
पी0डब्लू0–04	कैलाश ठाकुर	सूचक
पी0डब्लू0–05	निरज कुमार	साक्षी
पी0डब्लू0–06	सुजीत कुमार	साक्षी
पी0डब्लू0–07	राजदेव शर्मा	साक्षी
पी0डब्लू0–08	डॉ0 कृष्ण नंदन कुमार	चिकित्सक
पी0डब्लू0–09	कैलाश भगत	साक्षी

24.6.26

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	**साक्ष्य की प्रकृति** (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–पी–01/पी0डब्लु0–08	कैलाश ठाकुर का जख्म प्रतिवेदन।
2.	प्रदर्श–पी–02/पी0डब्लु0–08	शीला देवी का जख्म प्रतिवेदन।
3.	प्रदर्श–पी–03/पी0डब्लु0–08	निरज ठाकुर का जख्म प्रतिवेदन।
4.	प्रदर्श–पी–04/पी0डब्लु0–08	कैलाश ठाकुर का पूरक जख्म प्रतिवेदन।
5.	प्रदर्श–पी–05/पी0डब्लु0–08	शीला देवी का पूरक जख्म प्रतिवेदन।

ख–बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

24.6.26

घ–वस्तु प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

उपस्थित : **श्री हर्षित सिंह,**
सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में एकमात्र अभियुक्त पवन कुमार पेसर–उमेश ठाकुर के विरूद्व संज्ञानोंपरान्त वाद विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया। एकमात्र अभियुक्त पवन कुमार पेसर–उमेश ठाकुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341/34, 323/34, 325/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भारतीय दण्ड संहिता से आरोपित किया गया है। अभियुक्त को आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया है, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा वाद विचारण की मांग किए।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–01.06.2022 को समय करीब 07.30 बजे शाम को सूचक अपने दरवाजे पर बैठा था। उमेश शर्मा बिजली के खंभे के तार जलाने को लेकर कुछ बात–चीत कर ही रहा था कि अचानक पवन कुमार एवं कविता देवी हाथ में लोहे का रड लेकर आये और सूचक के शरीर पर प्रहार किये जिससे माथा फट गया और हाथ टूट गया। बचाने सूचक की पत्नी शीला देवी आई तो उसके परिवार के सदस्य उमेश ठाकुर, जंगली देवी, अनिता देवी, आकाश कुमार उर्फ ऋषि एवं कैलाश कुमार सभी अपने हाथ में लाठी, धारदार हथियार, फरसा, लोहे का रड एवं डंडा लेकर आये और सूचक एवं उसकी पत्नी दोनों को मार–पीट कर जख्मी कर दिये। मारपीट के कम में पवन कुमार सूचक की पत्नी शीला देवी का कपड़ा फाड़कर अर्धनग्न कर दिया तथा सड़क पर घसीटकर सभी मिलकर मार–पीट किये एवं उसका मंगल–सूत्र, कान का बाली एवं टिका सभी मिलकर छीन लिये। हल्ला सुनकर आस पास के लोग आए और बीच–बचाव का झगड़े को शांत किये।

3. सूचक के लिखित आवेदन पर दर्ज लालगंज थाना कांड सं0–212/2022 दिनांक–07.06.2022 अंतर्गत धारा–341, 323, 324, 307, 379, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की गई, पश्चात् विवेचना प्रारंभ की गई। वाद विवेचनोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा इस मामले के सह अभियुक्तगण उमेश शर्मा, कविता देवी, जंगली देवी एवं अनिता देवी के विरूद्व अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त पवन कुमार के विरूद्व आरोप–पत्र सं0–382/2022 दिनांक–10.08.2022 अंतर्गत धारा–341, 323, 325, 307, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत समर्पित किया गया। दिनांक–20.08.2022 को अभियुक्त पवन कुमार के विरूद्व विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–द्वितीय, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक–25.08.2022 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–द्वितीय, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अभियुक्त पवन कुमार का वाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर को दौरा सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् दिनांक–15.12.2022 को अभियुक्त पवन कुमार के विरूद्व अंतर्गत धारा–341/34, 323/34, 325/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्त को हिन्दी

24.6.26

में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया तथा अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अपने वाद के समर्थन में **कुल 09 (नौ)** अभियोजन साक्षी का परीक्षण कराया गया है जो निम्नलिखित हैः–

अभियोजन साक्षी संख्या–01 पार्वती देवी (साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या–02 शीला देवी (साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या–03 रंजन कुमार (साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या–04 कैलाश ठाकुर (सूचक)
अभियोजन साक्षी संख्या–05 निरज कुमार (साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या–06 सुजीत कुमार (साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या–07 राजदेव शर्मा (साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या–08 डॉ0 कृष्ण नंदन कुमार (चिकित्सक)
अभियोजन साक्षी संख्या–09 कैलाश भगत (साक्षी)

5. अभियोजन की ओर से वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न हैः–

प्रदर्श–पी–01/पी0डब्लु0–08 : कैलाश ठाकुर का जख्म प्रतिवेदन।
प्रदर्श–पी–02/पी0डब्लु0–08 : शीला देवी का जख्म प्रतिवेदन।
प्रदर्श–पी–03/पी0डब्लु0–08 : निरज ठाकुर का जख्म प्रतिवेदन।
प्रदर्श–पी–04/पी0डब्लु0–08 : कैलाश ठाकुर का पूरक जख्म प्रतिवेदन।
प्रदर्श–पी–05/पी0डब्लु0–08 : शीला देवी का पूरक जख्म प्रतिवेदन।

6. बचाव पक्ष की ओर से अपने प्रतिरक्षा में किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

24.6.26

7. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस के क्रम में समर्पित किया है कि अभियोजन साक्षी संख्या–04 कैलाश ठाकुर (सूचक) ने प्रति–परीक्षण में साक्ष्य दिया है कि घटना रात करीब 7–8 बजे की है, उस समय काफी अंधेरा था, घटनास्थल पर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गयी थी, उस भीड़ में बिजली के तार को ले जाने के लिए दो गुटों में बाताबाती हो रहा था, उसी भगदड़ में मुझे चोट लग गयी, अंधेरा के कारण किसके मारने से चोट लगी मुझे नहीं मालूम है, अंधेरा में मेरी पत्नी को कैसे चोट लगी मुझे नहीं मालूम है। इस मुकदमा को राजी–खुशी से सभी आरोपी लोगों सुलह कर लिये और इस सुलहनामा न्यायालय में दाखिल भी कर दिये है। इस मुकदमा

तथा पलटा मुकदमा में दोनों मुकदमा में राजी–खुशी से सुलह कर लिये है। अब आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। अभियोजन साक्षी संख्या–02 शीला देवी, जो सूचक की पत्नी है, ने प्रति–परीक्षण में साक्ष्य दिया है कि घटना रात की समय की है तथा अंधेरा बहुत हो चुका था, घटना के समय काफी अंधेरा था जिस कारण कौन मुझे या मेरे पति के साथ मारपीट किया मुझे मालूम नहीं है। मुकदमा मेरे पति और मैं सभी आरोपी के साथ सुलह कर लिये तथा न्यायालय में सुलहनामा दाखिल कर दिये है। इस मुकदमा तथा पलटा मुकदमा में भी राजी–खुशी से सुलह कर लिये है। अब आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। अभियोजन साक्षी संख्या–05 निरज कुमार ने प्रति–परीक्षण में साक्ष्य दिया है कि कथित घटना के समय बहुत भीड़ थी, भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की होने लगी, उसी धक्का मुक्की होने के कारण मैं गिर गया था और मुझे चोट लगी थी। इस केस के अभियुक्तगण के लोगों के साथ मेरे साथ मारपीट नहीं किये थे। मेरे सामने मेरे पिता और माँ के साथ भी मारपीट नहीं हुआ था।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 पार्वती देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–03 रंजन कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–06 सुजीत कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–07 राजदेव शर्मा एवं अभियोजन साक्षी संख्या–09 कैलाश भगत ने मुख्य–परीक्षण के कंडिका 01 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

8. दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक ने अपने बहस में कहा है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्ध किए जाने हेतु पर्याप्त है।

9. एकमात्र अभियुक्त पवन कुमार का धारा–313 दं0प्र0स0 के अंतर्गत बयान अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

10. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को एकमात्र अभियुक्त पवन कुमार के विरूद्ध युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल हुए हैं ?

24.6.26

<u>विश्लेषण</u>

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–01 पार्वती देवी** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि **पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।** अभियोजन पक्ष के आग्रह पर इस साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया है तथा साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पवन कुमार को देखकर पहचान की है और अन्य सभी अभियुक्तों को देखकर पहचानने का दावा की है।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **पवन कुमार को मैं पहचानती हूँ क्योंकि बगल के रहने वाले है।**

12. **अभियोजन साक्षी संख्या–02 शीला देवी (सूचक की पत्नी)** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि घटना वर्ष 2022 की है, पवन ठाकुर ने मेरे साथ मारपीट किये तथा मेरे पति कैलाश ठाकुर को मारे, पोल पर से तार हटाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट में मेरे पति का सिर फट गया तथा उनका हाथ टुट गया। उनका इलाज पहले लालगंज हस्पताल में हुआ वहॉ से सदर हस्पताल रेफर किया गया, जहॉ भी इलाज कराया। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि मुदालह को पहचानता हूँ तथा अन्य को पहचानता हूँ।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि **पवन कुमार रिश्ते में जाउत लगते है, तथा पवन के पिता रिश्ते में मेरे देवर लगते है।** कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **आरोपी पवन कुमार उनके पिता मेरे पट्टीदार है।** कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **घटना रात की समय की है तथा अंधेरा बहुत हो चुका था, घटना के समय काफी अंधेरा था जिस कारण कौन मुझे या मेरे पति के साथ मारपीट किया मुझे मालूम नहीं है।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **मुकदमा मेरे पति और मैं सभी आरोपी के साथ सुलह कर लिये तथा न्यायालय में सुलहनामा दाखिल कर दिये है।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **इस मुकदमा तथा पलटा मुकदमा में भी राजी–खुशी से सुलह कर लिये है।** कंडिका–8 में साक्ष्य दिया है कि **अब आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं।**

13. **अभियोजन साक्षी संख्या–03 रंजन कुमार** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि **पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।** अभियोजन पक्ष के आग्रह पर इस साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया है तथा साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पवन कुमार को देखकर पहचान किया है और अन्य सभी अभियुक्तों को देखकर पहचानने का दावा किया है।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **पवन कुमार को मैं पहचानती हूँ क्योंकि बगल के रहने वाले है।**

24.6.26

14. **अभियोजन साक्षी संख्या–4 कैलाश ठाकुर (सूचक)** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस का सूचक हूँ, घटना दिनांक 01.06.2022 की शाम की है। मैं अपने घर पर बैठा था, उसी समय उमेश शर्मा बिजली के खंभे से तार को हिलाने लगा इसी बात को लेकर पवन कुमार, कविता देवी लोहे का रड से मेरे शरीर पर प्रहार किया जिससे मेरा माथा फट गया तथा मेरा हाथ टुट

गया, मुझे बचाने मेरी पत्नी शीला देवी आयी तो मेरी पत्नी को उमेश ठाकुर, जंगली देवी, अनिता देवी, आकाश कुमार और कौशल कुमार सभी लोग हाथ में लाठी, डंडा, फरसा, लोहे का रोड लेकर आये तथा हमदोनों के साथ मारपीट करने लगे। मेरी पत्नी शीला देवी को पवन कुमार, अर्धनग्न कर दिया एवं सड़क पर घसीटकर मारा एवं मंगलसूत्र, कान की बाली एवं टिका छीन लिया। हल्ला सुनकर आसपास के लोग जुटे, जिससे सभी मुदालहगण भाग गये। हमलोगों को ईलाज के लिये लालगंज अस्पताल से सदर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां ईलाज कराया गया। इस बात का आवेदन मैंनें लालगंज थानाध्यक्ष को लिखवाकर दिया था, जो पढ़कर सुना दिया सही पाकर मैंने अपना अगूठे का निशान बना दिया। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि आज न्यायालय में उपस्थित सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ। पवन ठाकुर न्यायालय में आज उपस्थित है।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि **मैं तथा आरोपी लोग एक ही पट्टीदार है।** कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **मेरा और उमेश ठाकुर का घर अगल–बगल है, तथा वहॉ बहुत सारे लोगों का घर है।** कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **घटना रात करीब 7 से 8 बजे की है, उस समय काफी अंधेरा था, घटनास्थल पर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गयी थी, उस भीड़ में बिजली के तार को ले जाने के लिए दो गुटों में बाताबाती हो रहा था, उसी भगदड़ में मुझे चोट लग गयी, अंधेरा के कारण किसके मारने से चोट लगी मुझे नहीं मालूम है, अंधेरा में मेरी पत्नी को कैसे चोट लगी मुझे नहीं मालूम है।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **इस मुकदमा को राजी–खुशी से सभी आरोपी लोगों सुलह कर लिये और इस सुलहनामा न्यायालय में दाखिल भी कर दिये है।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **इस मुकदमा तथा पलटा मुकदमा में दोनों मुकदमा में राजी–खुशी से सुलह कर लिये है।** कंडिका–8 में साक्ष्य दिया है कि **अब आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं।**

15. **अभियोजन साक्षी संख्या–05 निरज कुमार (साक्षी)** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि मैं इस कांड का जख्मी हूँ, दिनांक–01.06.2022 को शाम में बिजली के खंभा के तारा को हिलाने पर पवन कुमार, अनिता देवी, उमेश ठाकुर, जंगली देवी, आकाश कुमार, रौशन कुमार लाठी, डंडा, लोहे के रड से कैलाश ठाकुर, उसकी पत्नी शीला देवी एवं मुझे मारपीट कर जख्मी कर दिया, शीला देवी को कपड़ा घसीटकर, बेलग्न कर तथा उसके गले का मंगलसूत्र छिन लिया। मेरा ईलाज लालगंज सरकारी अस्पताल में हुआ था। और अन्य लोगों का भी ईलाज हुआ था। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ और आज न्यायालय में पवन उपस्थित है।

24.6.26

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–4 में साक्ष्य दिया है कि **कथित घटना के समय बहुत भीड़ थी, भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की होने लगी,**

उसी धक्का मुक्की होने के कारण मैं गिर गया था और मुझे चोट लगी थी। कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **इस केस के अभियुक्तगण के लोगों के साथ मेरे साथ मारपीट नहीं किये थे।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **मेरे सामने मेरे पिता और माॅ के साथ भी मारपीट नहीं हुआ था।**

16. **अभियोजन साक्षी संख्या–06 सुजीत कुमार** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि **पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।** अभियोजन पक्ष के आग्रह पर इस साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया है तथा साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पवन कुमार को देखकर पहचान किया है और अन्य सभी अभियुक्तों को देखकर पहचानने का दावा किया है।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **आज न्यायालय में सम्मन मिलने पर गवाही देने आया हूँ।** कंडिका 07 में साक्ष्य दिया है कि **पवन मेरे ग्रामीण है, इसलिए ग्रामीण होने के नाते पहचानता हूँ।**

17. **अभियोजन साक्षी संख्या–07 राजदेव शर्मा** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि **पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।** अभियोजन पक्ष के आग्रह पर इस साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया है तथा साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पवन कुमार को देखकर पहचान किया है और अन्य सभी अभियुक्तों को देखकर पहचानने का दावा किया है।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **आज न्यायालय में सम्मन मिलने पर गवाही देने आया हूँ।** कंडिका 07 में साक्ष्य दिया है कि **पवन मेरे ग्रामीण है, इसलिए ग्रामीण होने के नाते पहचानता हूँ।**

24.6.26

18. **अभियोजन साक्षी संख्या–08 डॉ0 कृष्ण नंदन कुमार (चिकित्सक)** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया है कि

On 01-06-2022 I was posted at Referral Hospital Lalganj, Vaishali Dist. Vaishali as a Medical Officer, on that day 8.18 P.M. I examined Kalash Thakur, age-60, Male, Son of Harilal Thakur , resident of Kamalpur , P.S Lalganj Dist. Vaishali and found Following injury :-

1. Bruse and swelling 3"x 1" on left arm, and refer to X-ray and treatment Sadar hospital Hajipur.
2. Lacerated wound ½" x ¼" x muscle deep on front of head.
3. Nature of injury:- I. Opinion reserved.

II. Simple caused by hard and blunt object.

4. Age of injury:- within six hour.

5. Mark of Identification:- Massa on right eye.

6. This is injury report was prepared by me and signature. I recognized both handwriting and signature which is Marked as **Exhibit P1/P.W 8**

On the same date at 8.30 P.M I examined Sheela Devi, age-55, Female, wife of Kailash Thakur, resident of Kamalpur , P.S Lalganj Dist. Vaishali and found Following injury:-

7. Bruse and swelling 1"x 1/2" on left hand, and refer to sadar hospital Hajipur for further treatment.

8. Nature of injury:- Opinion reserved. Caused by hard and blunt object.

9. Age of injury:- Within six hour.

10. Mark of identification:- Mole on back of shoulder.

11. This is injury report also was prepared by me and signature. I recognized both handwriting and signature which is Marked as **Exhibit P2/P.W 8**

On the same date at 8.45 P.M I examined Neeraj Thakur, age-32, Male, Son of Kailash Thakur, resident of Kamalpur , P.S Lalganj Dist. Vaishali and found Following injury:-

12. Swelling on upper and lower lip, Caused by hard and blunt object.

13. Nature of injury:- Simple

14. Age of injury:- Within 6 hours.

15. Mark of Identification- old wound scar on front of head.

16. This is injury report also was prepared by me and signature. I recognized both handwriting and signature which is Marked as **Exhibit P3 /P.W 8**

On the 13-06-2022 , I was prepared supplementary injury report of Kailash Thakur age 60, Male, Son of Harilal Thakur , resident of Kamalpur , P.S Lalganj Dist. Vaishali on the basis of X-ray plates and report and found following opinion-

17. According to BRIJ Health services Private Limited(Sadar Hospital Hajipur)

Injury No. 1 the Injury report of Kailash Thakur - Fracture found X-Ray of Left Arm.

18. Nature of Injury- Grevious.

19. Age of Injury- Within 6 hours.

20. Inclosure- X-ray plates and report.

21. This is Supplementary injury report of Kailash Thakur also was prepared by me and signature. I recognized both handwriting and signature which is Marked as **Exhibit P4/P.W 8**

On the 13-06-2022 , I was prepared supplementary injury report of Sheela Devi age 55, Femal, wife of Kailash Thakur , resident of Kamalpur , P.S Lalganj Dist. Vaishali on the basis of X-ray plates and report and found following Opinion:-

22. According to BRIJ Health services Private Limited (Sadar Hospital Hajipur) Fracture seen in the 1st proximal Phalynx Bone of the left Hand.

23. Nature of Injury:- Grevious.

24. Age of Injury:- within 6 hours.

25. Enclosure- X-ray plates and report.

26. This is Supplementary injury report of Sheela Devi also was prepared by me and signature. I recognized both handwriting and signature which is Marked as **Exhibit P5/P.W 8**

Cross-Examination

27. I found Injury on the head of Kailash Thakur.

28. Injury No. 1 of Kailash Thakur, such type of injury may be possible by sudden fallen on hard surface.

29. Injury of Sheela Devi, such type of injury may be possible by sudden fallen on hard surface.

30. I have not found any sharp cut injury over the body of injured Neeraj Kumar.

31. I have not mentioned the colour of injury of above 3 injured persons.

32. It is not correct to say that My injury report is collusive.

24.6.26

19. **अभियोजन साक्षी संख्या–09 कैलाश भगत** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 मे साक्ष्य दिया है कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि **पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।** अभियोजन पक्ष के आग्रह पर इस साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया है।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **पुलिस के द्वारा वारंट मिलने पर गवाही देने आया हूँ।**

20. **अभियोजन साक्षी संख्या–04 कैलाश ठाकुर, जो सूचक है,** ने प्रति–परीक्षण के कंडिका–5 मे स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **घटना रात करीब 7 से 8 बजे की है, उस समय काफी अंधेरा था, घटनास्थल पर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो**

गयी थी, उस भीड़ में बिजली के तार को ले जाने के लिए दो गुटों में बाताबाती हो रहा था, उसी भगदड़ में मुझे चोट लग गयी, अंधेरा के कारण किसके मारने से चोट लगी मुझे नहीं मालूम है, अंधेरा में मेरी पत्नी को कैसे चोट लगी मुझे नहीं मालूम है। कंडिका–6 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **इस मुकदमा को राजी–खुशी से सभी आरोपी लोगों सुलह कर लिये और इस सुलहनामा न्यायालय में दाखिल भी कर दिये है।** कंडिका–7 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **इस मुकदमा तथा पलटा मुकदमा में दोनों मुकदमा में राजी–खुशी से सुलह कर लिये है।** कंडिका–8 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **अब आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं।**

अभियोजन साक्षी संख्या–02 शीला देवी, जो सूचक की पत्नी है, ने प्रति–परीक्षण के कंडिका–5 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **घटना रात की समय की है तथा अंधेरा बहुत हो चुका था, घटना के समय काफी अंधेरा था जिस कारण कौन मुझे या मेरे पति के साथ मारपीट किया मुझे मालूम नहीं है।** कंडिका–6 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **मुकदमा मेरे पति और मैं सभी आरोपी के साथ सुलह कर लिये तथा न्यायालय में सुलहनामा दाखिल कर दिये है।** कंडिका–7 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **इस मुकदमा तथा पलटा मुकदमा में भी राजी–खुशी से सुलह कर लिये है।** कंडिका–8 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **अब आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं।**

अभियोजन साक्षी संख्या–05 निरज कुमार ने प्रति–परीक्षण के कंडिका–4 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **कथित घटना के समय बहुत भीड़ थी, भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की होने लगी, उसी धक्का मुक्की होने के कारण मैं गिर गया था और मुझे चोट लगी थी।** कंडिका–5 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **इस केस के अभियुक्तगण के लोगों के साथ मेरे साथ मारपीट नहीं किये थे।** कंडिका–6 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **मेरे सामने मेरे पिता और मॉ के साथ भी मारपीट नहीं हुआ था।**

अभियोजन साक्षी संख्या–1 पार्वती देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–03 रंजन कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–06 सुजीत कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–07 राजदेव शर्मा एवं अभियोजन साक्षी संख्या–09 कैलाश भगत ने मुख्य–परीक्षण के कडिका 01 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ।

24.6.26

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या–4 कैलाश ठाकुर (सूचक), अभियोजन साक्षी सं0–02 शीला देवी एवं अभियोजन साक्षी सं0–05 निरज कुमार ने मुख्य परीक्षण में यद्यपि अभियोजन कथानक का आंशिक रूप से समर्थन किया है परंतु प्रतिपरीक्षण में समूचे साक्ष्य को ही मिटा दिया है तथा कथित घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता को साबित नहीं किया है। जहां तक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत शेष साक्षियों का प्रश्न है तो अभियोजन साक्षी सं0–01, अभियोजन साक्षी सं0–03, अभियोजन साक्षी सं0–06, अभियोजन साक्षी सं0–07 एवं अभियोजन साक्षी सं0–09 पक्षद्रोही साक्षी है तथा

इन सभी साक्षियों ने न तो अभिकथित घटना का समर्थन बतौर चक्षु साक्षी ही किया गया है और न ही इनके साक्ष्य का कोई अंश किसी भी तरह अभियोजन मामले को साबित किये जाने में सहायक है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले को साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

21. प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि सूचक द्वारा अपने लिखित आवेदन में कथित किया गया है कि जब वह दरवाजे पर बैठा तो उमेश शर्मा बिजली के खंभे के तार जलाने को लेकर बात–चीत कर रहा था कि पवन कुमार एवं कविता देवी लोहे के रड से प्रहार कर उसका माथा फाड़ दिये एवं हाथ तोड़ दिये। बचाने सूचक की पत्नी शीला देवी आई तो उसके परिवार के सदस्य उमेश ठाकुर, जंगली देवी, अनिता देवी, आकाश कुमार उर्फ ऋषि एवं कैलाश कुमार सभी अपने हाथ में लाठी, धारदार हथियार, फरसा, लोहे का रड एवं डंडा लेकर आये और सूचक एवं उसकी पत्नी दोनों को मार–पीट कर जख्मी कर दिये। मारपीट के कम में पवन कुमार सूचक की पत्नी शीला देवी का कपड़ा फाड़कर अर्धनग्न कर दिया तथा सड़क पर घसीटकर सभी मिलकर मार–पीट किये एवं उसका मंगल–सूत्र, कान का बाली एवं टिका सभी मिलकर छीन लिये। हल्ला सुनकर आस पास के लोग आए और बीच–बचाव का झगड़े को शांत किये।

अर्थात् सूचक एवं उसकी पत्नी शीला देवी के साथ घटना कारित हुई है। सूचक एवं उसकी पत्नी ने अपने मुख्य परीक्षण में सभी अभियुक्तों द्वारा मारने की बात कहे है तथा प्रतिपरीक्षण में **घटना के समय काफी अंधेरा था जिस कारण किसके मारने इनलोगों को चोट लगी नहीं मालूम** होने की बात कहे है।

22. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या–2 शीला देवी (जख्मी सह सूचक की पत्नी), अभियोजन साक्षी सं0–04 कैलाश ठाकुर (सूचक) एवं अभियोजन साक्षी सं0–05 निरज कुमार (जख्मी सह सूचक का पुत्र) ने मुख्य परीक्षण में यद्यपि अभियोजन कथानक का आंशिक रूप से समर्थन किया है परंतु प्रतिपरीक्षण में समूवे साक्ष्य को ही मिटा दिया है तथा कथित घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता को साबित नहीं किया है।

24.6.26

23. जहां तक अभियोजन साक्षी सं0–08 चिकित्सकीय साक्ष्य का प्रश्न है इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सक का साक्ष्य सम्पोषणीय प्रकृति का है जो यह तो दर्शित करता है कि जांच के समय उनके द्वारा दिनांक–01.06.2022 को कैलाश ठाकुर, शीला देवी एवं निरज कुमार का जख्म जांच किया गया था और उनके शरीर पर जख्म पाया गया था जो कठोर व कुंद हथियार द्वारा कारित होना बताया गया

है परंतु इनके साक्ष्य से यह साबित नहीं हो सकता कि उक्त जख्म विचारित अभियुक्तों द्वारा कारित किया गया।

24. अतः साक्षियों के साक्ष्य के समग्र अवलोकन, परिशीलन तथा निष्कर्षण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

25. अतएव एकमात्र अभियुक्त पवन कुमार पेसर–उमेश ठाकुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341/34, 323/34, 325/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में, निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि अभियुक्त जमानत पर है। ऐसी स्थिति में एकमात्र अभियुक्त पवन कुमार तथा उनके जमानतदारों के बंध–पत्र द0प्र0सं0 की धारा 437(क) के अंतर्गत निर्णय सुनाए जाने की तिथि से छः माह तक प्रवृत रहेंगे, तत्पश्चात वे बंध–पत्र के उत्तरदायित्व से उन्मुक्त होंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
Harshit Singh
(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।
24.06.2026

लेखापित
Harshit Singh
(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।
24.06.2026